मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-3/2019/निय भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मी को देय मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि।

—*—

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3/2019/नियम/चार दिनांक 14 जून, 2019 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मियों को माह जनवरी, 2019 से छटवें वेतनमान में 154% तथा सातवें वेतनमान में 12% की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है ।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये:-

अवधि जब से देय है	मंहगाई भत्ते में वृद्धि की दर (प्रतिशत में)		वृद्धि के परिणामस्वरूप मंहगाई भत्ते की देय दर (प्रतिशत में)	
	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान
दिनांक 01 जुलाई, 2019 से (माह जुलाई, 2019 का वेतन जो अगस्त, 2019 में देय होगा)	10	5	164	17

3/ पैरा-2 अनुसार मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई राशि का भुगतान माह मार्च, 2020 के वेतन (माह अप्रैल, 2020 में देय) से किया जाएगा । माह जुलाई, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक (8 माह) की बढ़ी हुई राशि के भुगतान के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जायेगें ।

4/ मंहगाई भत्ते की गणना छटवें वेतनमान में वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग तथा सातवें वेतनमान में निर्धारित मूल वेतन पर की जाएगी।

5/ मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

6/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा।

7/ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

8/ यह आदेश मंत्रि-परिषद् निर्णय के आईटम क्रमांक **4** दिनांक **15 मार्च 2020** के संदर्भ में जारी किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक :एफ 4-3/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2020

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
11. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
12. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
13. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
14. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
15. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
16. मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के अधिकारी (स्थायी सूची अनुसार)
17. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग